न्यायालय–विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ0 नि0) अधिनियम, जौनपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–110/2026
(पंजीकरण संख्या–601/2026)
चन्द्रशेखर सरोज उर्फ टिंकू सरोज पुत्र छक्कन
निवासी जयरामपुर, थाना बरसठी, जिला जौनपुर।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य
मु0अ0सं0–324/2024
धारा– 323, 504, 506 भा0दं0सं0
थाना–बरसठी, जिला–जौनपुर।

दिनांक–11.03.2026

मु0अ0सं0–324/2024, धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0, थाना बरसठी, जिला जौनपुर के मामले में आवेदक/अभियुक्त चन्द्रशेखर सरोज उर्फ टिंकू सरोज की ओर से आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत आख्यानुसार आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 324/2024, धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जमानत प्रार्थना पत्र इन आधारों पर दाखिल किया गया है कि वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को झूठे कथनों के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक मात्र घटनास्थल पर उपस्थित था, उसने कोई अपराध नहीं किया है। मात्र लोगों के कहने पर अभियुक्त बनाया गया है। उसका कोई रोल नहीं है। जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा लालमन द्वारा न्यायालय समक्ष प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 05.06.2024 को समय करीब 9–10 बजे रात उसकी लड़की की शादी थी, बारात जनवासे में आ चुकी थी। द्वार पूजा की तैयारी हो रही थी। ठीक उसी वक्त अभियुक्त शैलेश सिंह चाकू लेकर तथा चन्द्रशेखर व सोनू लाठी लेकर बारात में घुस आए। उक्त अभियुक्तगण बाराती को नाचता गाता देखकर आवेदक के समधी बसन्तलाल गौतम के पास आकर उनके हाथ में लिए हुए बैग, जिसमें बारात खर्च के रूप में 50,000/–रु0 था, जबरदस्ती छीनने लगे। उसके समधी द्वारा मना करने व चिल्लाने पर उसके सर में शैलेश ने चाकू से मारकर घ ाायल कर दिया और बचाने आए लड़के राहुल को भी चन्द्रशेखर उर्फ टिंकू व सोनू लाठी से मार कर घायल कर दिये। वह गड्ढ़े में गिर गया। अभियुक्त शैलेश ने उसके समधी के हाथ से रुपए से भरा बैग छीन लिया और उस बैग को लेकर चन्द्रशेखर उर्फ टिन्कू फरार हो गया। इस बात की जानकारी होने पर शैलेश सिंह के गांव के बहुत से लोग मौके पर आ गए और बारात में भगदड़ व तोड़–फोड़ करने लगे। अभियुक्त शैलेश सिंह ने उसे व उसके समधी को चमारिया–सियारिया, साले भोसड़ी वाले की गाली देते हुए धमकी देने लगा कि छूटने पर तुम लोगों को जान से मार कर खत्म कर देंगे। वादी मुकदमा के उक्त प्रार्थनापत्र पर न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मु0अ0सं0 324/2024 धारा 323, 324, 394, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (2) (v) एस0सी0/एस0टी0

Digitally signed by RANJEET KUMAR
Date: 2026.03.11 16:47:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ। बाद विवेचना आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियेाजक के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि वह निर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गई है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के परिवार वालों को मारपीट कर उपहति किये जाने, गाली–गलौज, जान से मारने की धमकी दिये जाने का अपराध कारित किया गया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के परिवार के लोगों के साथ मारपीट किया जाना, गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दिया जाना कहा गया है। मामले की विवेचना सम्पादित की जा चुकी है और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है और अभियुक्त पर धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 की नोटिस तामील कराई गई है। अभियोजन का ऐसा कोई कथन नहीं है कि अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग न किया गया हो। अभियुक्त पर आरोपित अपराध अधिकतम 7 वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त की जमानत का आधार पर्याप्त है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त चन्द्रशेखर सरोज उर्फ टिंकू सरोज द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 25,000/–रूपये का स्वबंधपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है–

1. आवेदक/अभियुक्त नियत तिथियों पर स्वयं/जरिये अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त मामले के साक्षी/साक्ष्य को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त जमानत के दौरान किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, जौनपुर।
जे0ओ0 कोड– यू0पी0 6509